181

परिपत्र क्रमांक प. 3(28) नविवि/3/96 दिनांक : 03.10.2005

विषय : कृषि/आवासीय भूमि से गैर आवासीय प्रयोजनार्थ कुछ श्रेणीयों की दरों के निर्धारण के संबंध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 13.09.2000 एवं 10.10.2000 द्वारा कृषि/आवासीय भूमि से गैर आवासीय प्रयोजनार्थ कुछ श्रेणियों का भू-उपयोग नियमन एवं आवंटन प्रयोजनार्थ दरों का निर्धारण किया गया था।

नमक उत्पादक क्षेत्रों में नमक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु अलग से कोई दरें निर्धारित नहीं होने के कारण उक्त परिपत्र के अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ निर्धारित दरें ली जा कर नियमन किया जा रहा है। उक्त प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करने में आ रही कठिनाईयों के कारण राज्य सरकार से अलग से दरें निर्धारण करने बावत् मांग की जा रही है।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर नमक उत्पादन क्षेत्रों के लिए निम्न प्रकार से दरों का निर्धारण किया जाता है :-

1. नमक खारड़ा (नमक उत्पादक क्षेत्र) 5000.00 रुपये प्रति बीघा।
2. नमक प्लान्ट 14000.00 रुपये प्रति बीघा।